20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला सागर निग - 1860 - I - 16

संजय कुमार अग्रवाल
पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल
निवासी आर्शीवाद भवन 5
सिविल लाइन सागर म0प्र0 ---- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरूद्व

श्रीमती रामकुंवर उर्फ रमामंगल अग्रवाल
उम्र 70 वर्ष पत्नि श्री महेश मंगल अग्रवाल
पिता स्व. श्री दुर्गाप्रसाद
निवासी मकान नंबर 8 तव्वामियां
महल मार्ग चौक भोपाल ---- गैर पुननरीक्षणकर्ता/अनावेदक

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959 विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ द्वारा प्रकरण कमांक 27/अ-3/2014-15 आदेश दिनांक 4-4-16

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा रूद्व अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 4-4-16 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, अनावेदिका रामकुंवर बाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय द्वारा परिवर्तन पंजी क्रमांक 4 पर पारित आदेश दिनांक 1-9-1983 के विरूद्व 30 वर्ष से अधिक समय उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जिसके साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया, जिसे आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इसी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1860-एक/2016 संजय विरूद्ध रामकुवंर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक संजय की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदिका रामकुवंर की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 27/अ-3/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 04-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-06-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

23.x.18

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23-x-18

(आर.के. जैन)

सदस्य